न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी: श्री नरेश सोनी आर.ए.एस

अपील 02/2020

अपीलान्ट :-

1. साकूखां पुत्र जोहब खां
2. भंवरेखां पुत्र जोहब खां
3. सायर खां पुत्र जोहब खां
4. खिन्दु खां पुत्र जोहब खां
5. कुने खां पुत्र जोहब खां
6. भूरे खां पुत्र जले खां
7. मेहरे खां पुत्र जले खां
8. इसे खां पुत्र जले खां
9. फूसे खां पुत्र जले खां जातियन मुसलमान निवासियान इन्द्रानगर नवोडा बैरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

वनाम

रेस्पोडेन्ट :-

1. ग्राम पंचायत नवोडा वैरा, जरिये सरंपच ग्राम पंचायत नवोडा वैरा।
2. मृतक इसेमाल खां पुत्र मोहम्मद खां के कायम मुकाम :-
2/1 लाखे खां पुत्र इसलाम खां
3 मृतक जेतु खां पुत्र मोहम्मद खां के कायम मुकाम :-
3/1 सदीक खां पुत्र जेतूखां
3/2 फजरूखां पुत्र जेतु खां
3/3. जेपू खां पुत्र जेतु खां
3/4. फूसे खां पुत्र जेतुखां
3/5. मुस्समात तीजो बेवा जेतू खां
4.साकर खां पुत्र मोहम्द खां
5.मोबीन खां पुत्र मोहम्मद खां के कायम मुकाम
5/1. फूसे खां पुत्र मोबीन खां
5/2. शेरू खां पुत्र मोबीन खां
5/3. हासम खां पुत्र मोबी खां
5/4. सलीखां पुत्र मोबीन खां जाति मुसलमान निवासयिान राबडिया तह0 लूणी जिला जोधपुर।
6.वली खां पुत्र मोहम्द खां के कायम मुकाम :-
6/1. समें खां पुत्र वलीखां
6/2. पप्पुखां पुत्र वलीखां
6/3. इदेखां पुत्र वलीखां जाति मुसल[illegible] निवासयिान राबडिया तह0 लूणी जिला जोधपुर।
7.मृतक तईवा पुत्र मोहम्मद खां के कायम मुकाम :-
7/1. फकीरा पुत्र तईबखां
7/2. भूरे खां पुत्र तईब खां
7/3. हनीफ खां पुत्र तईब खां
7/4. जमाली बैवा तईबा खां
8. मृतक आकूखां पुत्र मोहम्मद खां

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:34:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

8/1. मलूक खां पुत्र आकूखां
8/2. खमीश खं पुत्र आकूखां
8/3. मेहरेखां पुत्र आकूखां
8/4. मुस्सामात हुरमत बैवा आकूखां
9. भीखे खां पुत्र भंवरेखां साी जाति मुसलमान निवासी नवोडा बैरा, हाल रावडिया तहसील लूणी ।
10. गीरे खां पुत्र दीना खां
11. मेहराखां पुत्र दीनाखां
12. खमाखां पुत्र दीनाखां
13. शेरखां पुत्र दीना खां
14. सुभान खां पुत्र दीनाखां
15. हाजी खां पुत्र मोहम्मद खां
16. गाजी खां पुत्र मोहम्मद खां
17. हनीफ खां पुत्र मोहम्मद खां
18. कमी बैवा मोहम्मद कौम मुसलमान निवासी इन्द्रा नगर नवोडा बैरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

अपील बरखिलाफ आदेश सरपंच ग्राम पंचायत नवोडा बैरा म्यटेंशन संख्या 120 दिनांक 18.12.1995 जो बेचान दिनांक 10.03.1995 के आधार पर अवैध तौर से स्वीकृत किया गया को निरस्त करनें।

उपस्थितः श्री पूनमाराम चौधरी अपीलान्ट वकील
श्री अन्नाराम सारण रेस्पोडेन्ट वकील

निर्णय दिनांक :- 9.09.2021

प्रस्तुत अपील पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि सरहद मौजा मूल गांव नवोडा बैरा नवसृजित राजस्व गांव इन्द्रा नगर पटवार क्षेत्र नवातला तहसील पपदरा की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1937 रकबा 124 बीघा 09 विस्वा किस्म बारानी सोयम भूमि अवस्थित है। जो अपीलांटगण व रेस्पोडेंटान संख्या 10 से 18 के संयुक्त खातेदारी व कब्जा की पैतृक भूमि रही है। अपीलांटगण मौके पर काबिज कास्त है तथा अपीलांटगण के 1937 रकबा 124.09 बीघा भूमि में से रकबा 85 बीघा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के दिनांक 10.05.1995 को रेस्पोडेंटानगण संख्या 1 से 9 को बैचान कर दिया था। जिस पर रकवा 85 बीघा भूमि बेचाननामा के आधार पर म्यूटेशन रेस्पोडेंट संख्या 2 से 9 के नाम भरा जाकर स्वीकृति किया गया किंतु रेस्पोडेंट संख्या 1 ग्राम पंचायत सरपंच से मिलावट म्यूटेशन पारित करवाया जो बिना क्षेत्राधिकार का उक्त नामान्तरकरण अवैध अनुचित तरीके से पारित करवाया गया जो बिना क्षेत्राधिकार का होने से आरम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है जो निरस्त/अपास्त कर अपीलांटगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:34:57 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट कि अपील दिनांक 29.10.2020 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस कर रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सम्मन जारी किये किया गया, लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1, 3/1,

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

3/2 के वकील उपस्थित हुए दीगर रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित होने से उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलान्ट वकील ने दिनांक 5.8.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2/2, 5, 6 व 8/4 के कामय मुकाम पेश किया जो रेकर्ड पर लिया गया ।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी। एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन एवं अध्ययन किया । पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन करने एवं बहस पर मनन करने पर यह तथ्य सामने आया है कि ग्राम पंचायत सरपंच से मिलावट म्यूटेशन संख्या 120 दिनांक 18.12.1995 को पारित किया गया । उक्त बेचान पंजीकृत दस्तावेज में रकबा 124–09 बीघा में से 85 बीघा भूमि का ही बैचान किया गया था, लेकिन सम्पूर्ण रकबा का अलमदरामद गलत किया गया जो गलत है। ऐसी स्थिति में अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपती प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलान्ट की ओर से अपील स्वीकर कर म्यूटेशन संख्या 120 दिनांक 18.12.1995 को पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार पचपदरा पुनः प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है माफिक पंजीकृत बेचाना नामा के आधार पर जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही करें । प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को रिमान्ड किया जाता है।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 09.09.2021 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:34:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner